फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 23.09.2023

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर मफरुर/वारण्टी सबन्धित वाद सं0- 491/2023, मु0अ0सं0- 26/1994 अन्तर्गत धारा 302 भादवि को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री अरुण कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मफरुर/वारण्टी दिनेश सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ सबन्धित वाद संख्या- 491/2023,एसटी न0- 629/2000 व मु0अ0सं0- 26/1994 अन्तर्गत धारा 302 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ को नगला वाले मोड़ थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 20.01.1994 समय 18.30 बजे वादी मुकदमा श्री रवेन्द्र सिंह पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़ ने अपने भाई सुभाषचन्द्र की पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में कोतवाली मोहम्मदाबाद में मु0अ0सं0- 26/1994 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया था। अभियुक्त के विरुद्ध मफरुरी में दिनांक 13.02.1994 को आरोप पत्र संख्या- 39/1994 माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी थी। उपरोक्त मुकदमे में माननीय न्यायालय जिला व सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद से स्थायी वारण्ट जारी किया गया था। **अभियुक्त उपरोक्त दिनांक 20.01.1994 (लगभग 30 वर्ष) से लगातार फरार चल रहा था।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिनेश सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम साहबगंज थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त दिनेश से पूछताछ की गयी तो अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय मे देना बताया।

बरामदगी का विवरण:- निल।

अभियुक्त दिनेश का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 26/1994 धारा 302भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मोहित मिश्रा
2. हे0का0 अशोक कुमार
3. का0 योगेश कुमार
4. का0 अनीश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना शमसाबाद

दिनांक :- 24.09.2023

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0- 227/2023 धारा 323/304/506/34 भादवि को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 227/2023 धारा 323/304/506/34 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1.बृह्मानन्द पुत्र सुखलाल 2.सदानन्द पुत्र सुखलाल निवासीगण पहाड़पुर बैरागर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को कटिया मोड़ शमसाबाद से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण की निशादेही पर आलाकत्ल 01 अदद फावड़ा बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. बृह्मानन्द पुत्र सुखलाल निवासी पहाडपुर बैरागर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. सदानन्द पुत्र सुखलाल निवासी पहाडपुर बैरागर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त बृह्मानन्द ने पूछने पर बताया दिनांक 09.09.2023 को हम लोग सुबह करीब 8-9 बजे मथुरा , वृदावन से लौटकर घर आय़े थे। दिन के 12 बजे के आसपास वर्षा हो रही थी। हम लोग गोभी के खेत पर गये कुछ देर मे रक्षपाल भी अपने खेत पर अपने बच्चो के साथ आ गया। मेरे गोभी के खेत में बरसात का पानी भर गया था जिसे मैं मेड़ काटकर निकाल रहा था जिससे पानी रक्षपाल के खेत की तरफ जाता है । इसी बात पर रक्षपाल मेरे साथ झगडा करने लगा तो हम लोगो से मारपीट हो गयी और मैने व मेरे भाई सदानन्द व पवन ने रक्षपाल को जमीन पर गिरा दिया मेरे हाथ मे फावडा था, मैने क्रोध मे आकर फावड़ा चला दिया जिससे उसके सर मे चोट लग गयी और रक्षपाल के परिवाजनों को आता देख हम लोग वहां से भाग गये और फावड़ा बृहमानन्द ने अपने चारा के खेत मे डाल दिया था। जिसे मैने चलकर आपको बरामद करा दिया है।

बरामदगी का विवरणः- 01 अदद फावड़ा आला कत्ल ।

अभियुक्त बृह्मानन्द का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0- 227/2023 धारा- 323/304/506/34 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

अभियुक्त सदानन्द का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0- 227/2023 धारा- 323/304/506/34 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष बलराज भाटी
2. उ0नि0 विशेष कुमार
3. का0 अर्जुन सिह
4. का0 सुमित कुमार
5. का0 मलिखान सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़